

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>8-5-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-2 आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्राचीन अथवा अधिवक्ता प्राचीन में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की तामील विधिवत नहीं हुई है तथा तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय मीनाक्षी मीना का स्थानांतरण भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्राचीन पत्र स्थानांतरण का आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचारधीन प्र.नं. 139/2011 इनवानी द्यासी बनाम शिम्भूशाल कांडि को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल कुमार होकर नम्बर से कम है। निर्णय की वृत्ति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय का अंजवाही जाये। निर्णय आज दिनांक 8-5-2019 को मेरे द्वारा मुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p></p>



(Signature)
जिला कलक्टर
दौसा